

निबन्धन उप जिला लक्सर, जनपद हरिद्वार

उत्तराखण्ड स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन (संशोधन) नियमावली, 2015 के अन्तर्गत कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक:-420/म0नि0नि0/2025-26 दिनांक 04 अक्टूबर, 2025 एवं उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-9 के पत्र संख्या:-548/2025/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009/ई0-22939 देहरादून दिनांक 03 अक्टूबर, 2025 द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद हरिद्वार निबन्धन उप जिला लक्सर के प्रमुख मार्ग, नगरीय/नगरपालिका/नगर पंचायत, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि एवं भवनों के अन्तरण हेतु पुनरीक्षित न्यूनतम सर्किल दरें संलग्न सूची अनुसार निर्धारित की जाती है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

(मयूर दीक्षित)
आई0ए0एस0
कलेक्टर, हरिद्वार।

कार्यालय कलेक्टर हरिद्वार।

पत्रांक व दिनांक:-83(2)/सी0आर0सी0/2025-26

दिनांक:-04 अक्टूबर, 2025।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 3- महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- जिला निबन्धक हरिद्वार।
- 5- जिला स्टाम्प अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार।
- 6- सहायक महानिरीक्षक निबन्धन हरिद्वार।
- 7- उप जिलाधिकारी, लक्सर।
- 8- उप निबन्धक, लक्सर।
- 9- तहसीलदार, लक्सर।
- 10- समस्त कार्यालयध्यक्ष जनपद हरिद्वार।

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

(मयूर दीक्षित)
आई0ए0एस0
कलेक्टर, हरिद्वार।

तहसील लक्सर अन्तर्गत स्थित प्रमुख मार्गों की दरें

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग की श्रेणी	प्रमुख मार्ग का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)							
			कृषि भूमि दर (₹लाख प्रति हैक्टेयर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (₹सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
				सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	A-1	हरिद्वार रुडकी तिराहे से बालावाली तिराहे तक 300मीटर आगे तक। (नगर पालिका क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड नं० 07 मेन बाजार व वार्ड नं० 8 लक्सर पूर्वी एवं वार्ड नं० 03 शिवपुरी व 11 केशवनगर)	-	17400	16800	32000	90000	84000	14000	12000
	A-2	रेलवे फाटक लक्सर से सब्जी मण्डी मुख्य बाजार लक्सर का सम्पूर्ण मुख्य बाजार बसेडी रोड पर पप्पू नर्सिंग होम तक दोनों ओर और मेन बाजार लक्सर। (नगर पालिका क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड नं० 07 व वार्ड नं० 06 आदर्श कालोनी मौहल्ला लोको कालोनी)	-	17400	16800	32000	90000	84000	14000	12000
2	B-1	पप्पू नर्सिंग होम से लक्सरी पुलिया तक दोनों ओर (नगर पालिका क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड नं० 06 आदर्श कालोनी लोको कालोनी)	-	15000	13500	28000	77000	69000	14000	12000
	B-2	गोरधनपुर तिराहे से 300 मीटर बाद होली क्रॉस से गंगनौली तक दोनों ओर। (वार्ड नं० 04 शिवपुरी पूर्वी व वार्ड नं० 11 केशवनगर पूर्वी बादहू ग्राम शेखपुरी,खेडी मुबारिकपुर,दाबकी खुर्द एवं गंगनौली)	150	15000	13500	28000	77000	69000	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग की श्रेणी	प्रमुख मार्ग का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)							
			कृषि भूमि दर (₹लाख प्रति हैक्टेयर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (₹सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
				सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	B-3	गोरधनपुर तिराहे से बालावाली रोड पर तहसील मोड से अकोढा मन्दिर तक दोनो ओर। (वार्ड नं० 11 केशवनगर पूर्वी सिल्वर सिटी व वार्ड नं० 10 मिहिरभोज कोलानी बादहू ग्राम अकोढा औरंगजेबपुर)	150	15000	13500	28000	77000	69000	14000	12000
	B-4	रेलवे फाटक से सोसायटी रोड मोड से गन्ना समिति होते हुए बालावाली तिराहा तक दोनो ओर। (नगर पालिका क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड नं० 10 केशवनगर)	-	15000	13500	28000	77000	69000	14000	12000
3	C-1	सेट थॉमस स्कूल के तहसील मोड से पूर्व दिशा में जूनियर/हाईस्कूल एवं तहसील होकर रायसी मोड तक एवं तहसील के दक्षिण घूम से इण्टर कालेज होते हुए सोसायटी तक सोसायटी रोड मोड से रेल मार्ग से सटे खडंजा मार्ग पर अन्त तक। (नगर पालिका क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड नं० 10 केशवनगर)	-	11500	10000	25000	70800	65100	14000	12000
4	D-1	सेठपुर रोड पर ग्राम सेठपुर व बुक्कनपुर होते हुए ऐथल रेलवे फाटक तक। (बसेडी खादर, सेठपुर, हिरनाखेडी, बुक्कनपुर एवं ऐथल बजुर्ग)	150	10000	9400	25000	67700	61900	14000	12000
	D-2	लक्कर हरिद्वार मुख्य मार्ग पर टिकमपुर से कुन्हारी तक दोनो ओर। (सुल्तानपुर आदमपुर)	150	10000	9400	25000	67700	61900	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग की श्रेणी	प्रमुख मार्ग का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)							
			कृषि भूमि दर (₹लाख प्रति हैक्टेयर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (₹सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
				सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	D-3	हरिद्वार रोड पर लक्सर मेटाडोर अड्डे से ग्राम टिक्कमपुर की सीमा तक दोनों ओर। (लक्सर, रायपुर, पुन्हेरपुर उर्फ पीपली, बुडढाखेडा मीमला, अकबरपुर उद, एवं प्रेमपुर उर्फ लडौली)	150	10000	9400	25000	67700	61900	14000	12000
5	E-1	मेन बाजार से निकलने वाली बसेडी रोड ग्राम बसेडी तक एवं बसेडी रोड से रुडकी बस स्टैन्ड वाली रोड पर दोनों ओर। (नगर पालिका क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड नं० 07 मेन बाजार लक्सर वाल्मिकी बस्ती)	-	9800	9200	24000	62500	56000	14000	12000
	E-2	लक्सरी पुलिया से बहादरपुर होते हुए रुडकी रोड तक दोनों ओर। (नगर पालिका क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड नं० 06 आदर्श कालोनी हरिजन बस्ती व मुस्लिम बस्ती)	-	9800	9200	24000	62500	56000	14000	12000
	E-3	लक्सर मेटाडोर स्टैन्ड चौक से रुडकी की ओर थाना मोड होते हुए बहादरपुर रेलवे फाटक तक सड़क के दोनों ओर 200 मीटर दूरी तक (मुख्य मार्ग की दूरी से भिन्न दूरी) (लक्सर, सलेमपुर बककाल, बसेडी खादर एवं बहादरपुर खादर)	130	9800	9200	24000	62500	56000	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग की श्रेणी	प्रमुख मार्ग का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)							
			कृषि भूमि दर (₹लाख प्रति हैक्टेयर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (₹सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
				सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनट्र पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E-4	वार्ड नं०-2 नरोजपुर जाने वाली माल गोदाम रोड रेलवे फाटक लक्सरी से ग्राम नरोजपुर तक दोनों ओर। (वार्ड नं० 02 सीमली वाल्मिकी बस्ती व हरिजन बस्ती बादहू ग्राम नरोजपुर, लक्सरी की आवासीय एवं कृषि भूमि)	130	9800	9200	24000	62500	56000	14000	12000
	E-5	तहसील लक्सर में हरिद्वार रोड पर वसुन्धरा एनकलेव, गंगा विहार, सुखदेव एनकलेव, आदि अन्य विकसित कालोनीयों हेतु यही दरें प्रभावी होगी	-	9800	9200	24000	62500	56000	14000	12000
	E-6	गोरधनपुर/प्रहलादपुर में पुरकाजी मार्ग व अन्य व्यवसायिक क्षेत्र। (गोरधनपुर, राजपुर एवं प्रहलादपुर)	130	9800	9200	24000	62500	56000	14000	12000
	E-7	खानपुर ग्राम में पुरकाजी मार्ग व अन्य व्यवसायिक क्षेत्र के दोनों ओर। (खानपुर)	130	9800	9200	24000	62500	56000	14000	12000
6	F-1	पुरकाजी बस स्टैन्ड से भूरनी खतीरपुर रोड पर डिग्री कालेज तक एवं सीमली में नगर पालिका कार्यालय लक्सर तक। (नगर पालिका क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड नं० 03 नई शिवपुरी)	110	9000	8000	23000	72000	66300	14000	12000
	F-2	रायसी व हबीबपुर कुडी में लक्सर बालावाली रोड से रेलवे स्टेशन तक। (रायसी एवं हबीबपुर कुडी)	110	9000	8000	23000	72000	66300	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग की श्रेणी	प्रमुख मार्ग का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)							
			कृषि भूमि दर (₹लाख प्रति हैक्टेयर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (₹सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
				सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनट्र पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	F-3	तहसील लक्सर मे रुडकी रोड पर भरत कालोनी (थाना मोड लक्सर) सिंह एनकलेव, आदि अन्य विकसित कालोनीयों हेतु यही दरें प्रभावी होगी (मुख्य मार्ग की दूरी से भिन्न दूरी तक दोनों ओर। (नगर पालिका क्षेत्र वार्ड नं० 01 अम्बेडकर कालोनी हरिजन बस्ती व वार्ड नं० 09 आजाद नगर कश्यप कालोनी, सुखदेव कालोनी, विकास कालोनी, शुगर मिल कालोनी, गंगा विहार कोलानी।)	-	9000	8000	23000	72000	66300	14000	12000
	F-4	सुल्तानपुर में हरिद्वार लक्सर मार्ग से टेलीफोन एक्सचेंज होते हुए आरा मशीन होकर नेहन्दपुर सुठारी गांव तक एवं सुल्तानपुर में हनुमान चौक चौराहे से निकलने वाली सड़क रामनगर होते हुए इस्माईलपुर रोड चौराहे तक एवं मौ० रामनगर से पोस्ट आफिस होते हुए रविदास मन्दिर तक सड़क के दोनों ओर 200 मी० तक। (कस्बा सुल्तानपुर की रोड)	-	9000	8000	23000	72000	66300	14000	12000
	F-5	तहसील लक्सर मे पुरकाजी रोड पर उत्तराखण्ड की सीमा तक सुखपाल इन्कलेव एवं विष्णु विहार फेस प्रथम व द्वितीय आदि अन्य विकसित कालोनीयों हेतु यही दरें प्रभावी होगी (मुख्य मार्ग की दूरी से भिन्न दूरी तक दोनों ओर। (विकसित कालानी हेतु दरें)	110	9000	8000	23000	72000	66300	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग की श्रेणी	प्रमुख मार्ग का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)							
			कृषि भूमि दर (₹लाख प्रति हैक्टेयर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (₹सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
				सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	F-6	रेलवे फाटक से पश्चिम को जाने वाली सड़क जो शिवपुरी कालोनी से होते हुए वार्ड नं०-2 सतपाल की दुकान तक दोनों ओर। (नगर पालिका क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड नं० 03 शिवपुरी व वार्ड नं० 02 सीमली)	-	9000	8000	23000	72000	66300	14000	12000
7	G-1	हरिद्वार रोड से वन विभाग कार्यालय होते हुए जाने वाली सड़क पर ग्राम केहड़ा तक। (वार्ड नं० 09 आजाद नगर बादहू केहड़ा)	-	6000	5000	21000	57000	53500	14000	12000
	G-2	सुल्तानपुर आदमपुर इस्माईलपुर/पंचवली रोड पर मदरसा जन्तु निषा जू० हा० स्कूल होते हुए पंचवली घाट पर डूंगरपुर रोड एवं पुरवाला बिरसंगपुर रोड पर 400 मी० आगे तक सड़क के दोनों ओर 200 मी० तक। (सुल्तानपुर आदमपुर)	-	6000	5000	21000	57000	53500	14000	12000
8	H-1	जनपदीय मार्ग से लक्सर गांव एवं नगला खिताब तिराहा पर ग्राम नगला खिताब रोड पर 300 मी० तक एवं लक्सर ग्राम की ओर 300 मी० तक। (लक्सर, रायपुर एवं नगला खिताब)	105	6000	5000	21000	57000	53500	14000	12000
	H-2	रायसी में लक्सर बालावाली चौराहे से हर्ष विद्या मन्दिर डिग्री कालेज से 200 मी० आगे तक सड़क के दोनों ओर 200 मी० तक। (रायसी)	-	6000	5000	21000	57000	53500	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग की श्रेणी	प्रमुख मार्ग का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)							
			कृषि भूमि दर (₹लाख प्रति हैक्टेयर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर) (सड़क पर 200 की दूरी मीटर तक)	वाणिज्यिक भवन की दर (₹सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
				सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	I-1	रायसी बाण गंगा पुल से गंगा तट तक (तहसील की अन्तिम सीमा तक) लक्सर रोड पर। (रायसी, हबीबपुर कुडी मन्सूरपुर उर्फ कपूरों एवं रघुनाथपुर उर्फ बालावाली)	110	4000	3600	19000	55200	52200	14000	12000
	I-2	बहादरपुर खादर रेलवे फाटक से तहसील लक्सर की अन्तिम सीमा तक। (मुटकाबाद, हुसैनपुर, मौहम्मदपुर बुजुर्ग, डौसनी एवं अकबरपुर माजरी)	110	4000	3600	19000	55200	52200	14000	12000
	I-3	अकौड़ा मन्दिर से खडन्जा कुतुबपुर एवं मुन्डाखेडा खुर्द होते हुए बाण गंगा पुल तक। (अकौड़ा औरंगजेबपुर, खडन्जा कुतुबपुर, मुन्डाखेडा खुर्द, कुडी, एवं नैतवाला सैदाबाद)	110	4000	3600	19000	55200	52200	14000	12000
	I-4	बहादरपुर खादर मे बसेडा रोड पर 500 मीटर आगे तक। (बहादरपुर खादर)	110	4000	3600	19000	55200	52200	14000	12000
	I-5	जनपदीय मार्ग से डौसनी रोड पर डौसनी तक सड़क के दोनो ओर 200 मी० तक। (डौसनी)	110	4000	3600	19000	55200	52200	14000	12000
	I-6	जनपदीय मार्ग से मौहम्मदपुर बुजुर्ग एवं मुबारिकपुर अलीपुर रोड पर 400 मी० तक। (मौहम्मदपुर बुजुर्ग एवं मुबारिकपुर अलीपुर)	110	4000	3600	19000	55200	52200	14000	12000
	I-7	खानपुर में तुगलपुर रोड पर भगवान शंकर इन्टर कालेज से 100 मी० आगे तक। (खानपुर)	110	4000	3600	19000	55200	52200	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग की श्रेणी	प्रमुख मार्ग का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)							
			कृषि भूमि दर (₹लाख प्रति हैक्टेयर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (₹सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
				सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	I-8	गोरधनपुर में चौराहे से लालचन्दवाला रोड एवं रुहालकी रोड पर 500 आगे तक सड़क के दोनो ओर 200 मी० तक। (गोरधनपुर)	110	4000	3600	19000	55200	52200	14000	12000
	I-9	हुसैनपुर में जनपदीय मार्ग से हुसैनपुर तक सड़क के दोनो ओर 200 मी० तक। (हुसैनपुर)	110	4000	3600	19000	55200	52200	14000	12000
	I-10	निरंजनपुर में चमनलाल आदि से बीर सिंह प्रमुख के खेत तक सड़क के दोनो ओर 200 मीटर तक। (निरंजनपुर)	110	4000	3600	19000	55200	52200	14000	12000
	I-11	भिवकमपुर में चौराहे से रामपुर रायघटी, फतवा व अलावलपुर एवं बाकरपुर जाने वाली सड़क पर सड़क के दोनो ओर 200 मीटर तक (भिवकमपुर जीतपुर)	110	4000	3600	19000	55200	52200	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

तहसील लक्सर के नगर पालिका परिषद, लक्सर क्षेत्रों की दरें

(सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्र. सं.	नगर पालिका स्थित वार्डों की श्रेणी	नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर क्षेत्र के वार्ड/मौहल्ले का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)					
			अकृषि भूमि (रुप्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रुप्रति वर्ग मीटर)	
					दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A-1	मेन बाजार (वार्ड नं0 07)	16200	29000	70200	69200	14000	12000
2	B-1	शिवपुरी पूर्वी (वार्ड नं0 04)	11200	25000	65800	63400	14000	12000
	B-2	शिवपुरी (वार्ड नं0 03)	11200	25000	65800	63400	14000	12000
	B-3	आजाद नगर(वार्ड नं0 09)	11200	25000	65800	63400	14000	12000
	B-4	केशव नगर (वार्ड नं0 10)	11200	25000	65800	63400	14000	12000
	B-5	केशव नगर पूर्वी (वार्ड नं0 11)	11200	25000	65800	63400	14000	12000
3	C-1	सीमली (वार्ड नं0 02)	8900	23000	48800	44000	14000	12000
	C-2	लक्सरी (वार्ड नं0 05)	8900	23000	48800	44000	14000	12000
	C-3	आदर्श कालोनी (वार्ड नं0 06)	8900	23000	48800	44000	14000	12000
4	D-1	अम्बेडकर नगर (वार्ड नं0 01)	8800	22000	48000	44000	14000	12000
	D-2	लक्सर पूर्वी (वार्ड नं0 08)	8800	22000	48000	44000	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

तहसील लक्सर के नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर क्षेत्रों की दरें

(सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्र. सं.	नगर पालिका स्थित वार्डों की श्रेणी	नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर क्षेत्र के वार्ड/मौहल्ले का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (रुलाख प्रति हैक्टेयर/वर्ग मीटर)	अकृषि भूमि (रुप्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रुप्रति वर्ग मीटर)	
						दुकान/रैस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	A-1	अली चौक वार्ड नम्बर 01	-	9000	18000	60000	55000	14000	12000
	A-2	हनुमान चौक वार्ड नम्बर 02	-	9000	18000	60000	55000	14000	12000
	A-3	साबर अली वार्ड नम्बर 09	-	9000	18000	60000	55000	14000	12000
2	B-1	बडा बगड वार्ड नम्बर 08	-	8000	17000	65000	60000	14000	12000
3	C-1	ईदगाह वार्ड नम्बर 03	-	7000	17000	63000	58000	14000	12000
	C-2	ईस्लाम नगर वार्ड नम्बर 04	-	7000	17000	63000	58000	14000	12000
	C-3	दादा खान वार्ड नम्बर 05	-	7000	17000	63000	58000	14000	12000
	C-4	कच्ची चौपाल वार्ड नम्बर 06	-	7000	17000	63000	58000	14000	12000
	C-5	सुल्तानशाह वार्ड नम्बर 07	-	7000	17000	63000	58000	14000	12000
4	D-1	नगर पंचायत सुल्तानपुर	75	7000	16000	63000	58000	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

तहसील लक्सर के अर्द्धनगरीय क्षेत्रों की दरें

(सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्र० सं०	अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों की श्रेणी	अर्द्धनगरीय क्षेत्र के मोहल्ले / राजस्व ग्राम का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर ₹लाख में)	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
						दुकान / रैस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A-1	शेखपुरी	56	7000	21000	55000	49000	14000	12000
	A-2	लक्सर	56	7000	21000	55000	49000	14000	12000
2	B-1	केहड़ा	55	5000	20000	53300	49000	14000	12000
3	C-1	अकौड़ा औरंगजेबपुर	50	5000	19000	53400	49000	14000	12000
	C-2	सीमली	50	5000	19000	53400	49000	14000	12000
	C-3	बसेडी खादर	50	5000	19000	53400	49000	14000	12000
	C-4	बहादुरपुर खादर	50	5000	19000	53400	49000	14000	12000
	C-5	सलेमपुर बक्काल	50	5000	19000	53400	49000	14000	12000
4	D-1	नसरुल्लापुर	41	4000	19000	50300	49000	14000	12000
	D-2	लक्सरी	41	4000	19000	50300	49000	14000	12000
5	E-1	पुन्डेरपुर उर्फ पीपली	40	2800	18500	50300	49000	14000	12000
	E-2	रायपुर	40	2800	18500	50300	49000	14000	12000
	E-3	नगला खिताब	40	2800	18500	50300	49000	14000	12000
	E-4	सेठपुर	40	2800	18500	50300	49000	14000	12000
6	F-1	नरोजपुर	35	2900	18000	50300	49000	14000	12000
	F-2	मुटकाबाद	35	2900	18000	50300	49000	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

तहसील लक्सर के ग्रामीण क्षेत्रों की दरें

(सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्र० सं०	ग्रामीण क्षेत्रों की श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्राम का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर ₹लाख में)	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A	(1) अकबरपुर उद	67	5200	20500	35500	30500	14000	12000
		(2) गंगनौली	67	5200	20500	35500	30500	14000	12000
2	B	(1) ऐथल बुजुर्ग	40	3200	20000	35500	29500	14000	12000
3	C	(1) बुक्कनपुर	31	3000	19500	35100	28100	14000	12000
		(2) दाबकी खुर्द	31	3000	19500	35100	28100	14000	12000
		(3) डौसनी	31	3000	19500	35100	28100	14000	12000
		(4) हुसैनपुर	31	3000	19500	35100	28100	14000	12000
		(5) बुडढाखेडा मीमला	31	3000	19500	35100	28100	14000	12000
		(6) मुण्डाखेडा खुर्द	31	3000	19500	35100	28100	14000	12000
		(7) खेडी मुबारिकपुर	31	3000	19500	35100	28100	14000	12000
4	D	(1) बसेडा खादर	28	2800	19000	35100	28000	14000	12000
		(2) खडंजा कुतुबपुर	28	2800	19000	35100	28000	14000	12000
		(3) तिघरी	28	2800	19000	35100	28000	14000	12000
5	E	(1)भूरनीखतीरपुर	25	2700	19000	35000	27500	14000	12000
		(2) दाबकी कलां	25	2700	19000	35000	27500	14000	12000
		(3) बिजोपुरा	25	2700	19000	35000	27500	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

क्र० सं०	ग्रामीण क्षेत्रों की श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्राम का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर ₹लाख में)	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
						दुकान/ रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	E	(4) ढाढेकी ढाणा मजाहिदपुर मुस्तहकम	25	2700	19000	35000	27500	14000	12000
		(5) निरंजनपुर	25	2700	19000	35000	27500	14000	12000
		(6) नैतवाला सैदाबाद	25	2700	19000	35000	27500	14000	12000
		(7) कुआखेडा मु०	25	2700	19000	35000	27500	14000	12000
		(8)महेशरी	25	2700	19000	35000	27500	14000	12000
		(9) नसीराबाद	25	2700	19000	35000	27500	14000	12000
		(10)भूरना	25	2700	19000	35000	27500	14000	12000
6	F	(1) सुठारी	22	2600	18500	34500	27000	14000	12000
		(2) प्रेमपुर उर्फ लडौली	22	2600	18500	34500	27000	14000	12000
		(3)रायसी	22	2600	18500	34500	27000	14000	12000
		(4) हबीबपुर कुडी	22	2600	18500	34500	27000	14000	12000
		(5) गोरधनपुर	22	2600	18500	34500	27000	14000	12000
		(6) खानपुर/पर० गोरधनपुर	22	2600	18500	34500	27000	14000	12000
		(7)जैतपुर	22	2600	18500	34500	27000	14000	12000
		(8) जलाल माजरा	22	2600	18500	34500	27000	14000	12000
		(9) कुडी	22	2600	18500	34500	27000	14000	12000
		(10) खेडी खुर्द	22	2600	18500	34500	27000	14000	12000
6	F	(11) मुण्डाखेडा कलां	22	2600	18500	34500	27000	14000	12000
		(12) सुखी चक	22	2600	18500	34500	27000	14000	12000
		(13) फतेहपुर जुनार	22	2600	18500	34500	27000	14000	12000
(दीपेन्द्र सिंह नेगी) अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार।									

क्र० सं०	ग्रामीण क्षेत्रों की श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्राम का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर ₹लाख में)	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(14) फतेहपुर चमार	22	2600	18500	34500	27000	14000	12000
		(15) ईस्माईलपुर	22	2600	18500	34500	27000	14000	12000
		(16) मुबारिकपुर	22	2600	18500	34500	27000	14000	12000
		(17) मौहम्मदपुर बुजुर्ग अह0 एवं मुस्त0	22	2600	18500	34500	27000	14000	12000
		(18) अलावलपुर	22	2600	18500	34500	27000	14000	12000
7	G	(1) पंचवली	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(2) धर्मपुर	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(3) टाण्डा जलालपुर	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(4) हिरनाखेडी	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(5) प्रहलादपुर	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(6) चिडियापुर	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(7) कासमपुर निवादा मुस्तहकम	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(8) लादपुर कलां मुस्तहकम	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(9) मखियाली खुर्द	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(10) मुबारिकपुर अलीपुर	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(11) अकौड़ा मुकरमतपुर	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(12) रजबपुर	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(13) बक्काल मुस्तहकम	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(14) मखियाली कलां	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

क्र० सं०	ग्रामीण क्षेत्रों की श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्राम का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर ₹लाख में)	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
						दुकान/ रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	G	(15) सीधड़ू	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(16) नेहन्दपुर	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(17) महेशरा	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(18) रसूलपुर उर्फ कंकरखाता	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(19) खानपुर/परगना ज्वालापुर	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(20) भगतनपुर मजरा निरंजनपुर	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(21) जोगावाला	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(22) अब्दुल रहीमपुर	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(23) महतौली	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(24) भिककमपुर जीतपुर	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(25) मुसाहिबपुर	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(26) कानेवाली रायसिंह	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(27) ढाढेकी ढाणा मजाहिदपुर अहत0	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(28) रसूलपुर बक्काल मु0 एवं अहतमाल	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
		(29) तुगलपुर	19	2400	18500	34000	26500	14000	12000
8	H	(1) मुज्फरपुर गुजरा	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(2) बरमपुर	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(3) दरगाहपुर	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(4) डूंगरपुर	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(5) ओसपुर	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
(दीपेन्द्र सिंह नेगी) अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार।									

क्र० सं०	ग्रामीण क्षेत्रों की श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्राम का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर ₹लाख में)	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
						दुकान/ रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	H	(6) प्रतापपुर	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(7) पुरवाला बिरसंगपुर	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(8) बहालपुरी	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(9) बिचपडी	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(10)ज्वाहरखानउर्फ झीवरहेडी	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(11) केशोवाला उर्फ लडौला	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(12)मौहम्मदपुर जमापुर	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(13)फिदाईपुर	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(14)मौहम्मदपुर खादर	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(15) अकबरपुर माजरी	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(16) मिर्जापुर सादात	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(17) न्यामतपुर	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(18) हस्तमौली	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(19) सिकंदरपुर	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(20)चंदपुरी बांगर	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(21) भारूवाला	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(22) बहादरपुर	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(23) अब्दीपुर	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(24)असगरपुर	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(25) बालचंदवाला	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
(दीपेन्द्र सिंह नेगी) अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार।									

क्र० सं०	ग्रामीण क्षेत्रों की श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्राम का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर ₹लाख में)	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
						दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	H	(26)दयालपुर	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(27) माजरी	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(28) जैनपुर खुर्द मुस्त0 एवं अहत0	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(29) राजपुर	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(30) मिर्जापुर उर्फ मोहनावाला	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
		(31) कासमपुर निवादा अहत0	18	2150	18000	33500	26000	14000	12000
9	I	(1) फतवा मु0	15	2100	17500	33000	26000	14000	12000
		(2) रामपुर रायघटी मुस्तहकम एवं अहतमाल	15	2100	17500	33000	26000	14000	12000
		(3) खडौली	15	2100	17500	33000	26000	14000	12000
		(4) मलकपुर	15	2100	17500	33000	26000	14000	12000
		(5) कुआखेडा अह0	15	2100	17500	33000	26000	14000	12000
		(6) लादपुर कलां अह0	15	2100	17500	33000	26000	14000	12000
		(7) महाराजपुर कलां	15	2100	17500	33000	26000	14000	12000
		(8) बाकरपुर	15	2100	17500	33000	26000	14000	12000
		(9) लालचन्दवाला	15	2100	17500	33000	26000	14000	12000
		(10) भोवावाली	15	2100	17500	33000	26000	14000	12000
10	J	(1)इदरीशपुर	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(2)बादशाहपुर	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(3)चखेरी	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(4)कलसिया	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

क्र० सं०	ग्रामीण क्षेत्रों की श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्राम का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर ₹लाख में)	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
						दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	J	(5)माडाबेला	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(6)चन्दपुरी खादर	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(7)शेरपुर बेला	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(8)गिद्धावाली	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(09)दूधला	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(10)कवलपुर	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(11)दल्लावाला	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(12)झीवरहेडी	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(13)बानूवाला,	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(14)मुजफरपुर गुजरा जदीद	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(15)फतवा अहतमाल	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(16)गंगदासपुर अहतमाल	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(17)गंगदासपुर मुस्तहकम	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(18)सहीपुर	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(19)मदारपुर	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(20)आलमपुर	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(21)याहियापुर	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(22) शाहपुर	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

क्र० सं०	ग्रामीण क्षेत्रों की श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्राम का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर ₹लाख में)	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
						दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	J	(23)रुहालकी	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(24)इब्राहिमपुर	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(25)करनपुर	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(26) रघुनाथपुर उर्फ बालावाली	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(27) मंसूरपुर उर्फ कपूरो	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(28)शेरपुर बेला महाजी हिरदेरामपुर	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(29)मथाना	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(30) पौडोवाली	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(31)जसपुररणजीतपुर मुस्तहकम एवं अहतमाल	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(32) महाराजपुर खुर्द	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000
		(33) शिवपुरी मुस्तहकम एवं अहतमाल	13	2000	17000	32000	25800	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

सामान्य अनुदेशिका:

(यह मूल्यांकन सूची का भाग है)

(A)	कृषि/अकृषि भूमि/बहुमंजिला आवासीय भवन/फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन/दुकान/प्रतिष्ठान के मूल्यांकन सम्बन्धी सामान्य निर्देश:-
	यद्यपि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि-
1-	(क)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 05 मी0 या अधिक व 12 मी0 से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 05 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या (ख)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 12 मी0 या अधिक व 15 मी0 से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या (ग)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 15 मी0 या अधिक व 18 मी0 से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या (घ)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
2-	वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।
3-	शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें स्वचालित यांत्रिक सीढ़ियों (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़कर बहुखण्डीय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तरित सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीयतल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।
4-	ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित है, के अनुसार एवं अनुलग्नक खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर के 1.10 गुणा दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

5-	एकल व्यवसायिक सम्पत्ति, जो कि वाणिज्यिक परिसर का भाग न हो के अन्तरण विलेख में सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी, तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीयतल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।
6-	1000 वर्ग मीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी, परन्तु न गरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।
7-	उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य औद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निष्पादित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पाद न की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जाना अनिवार्य होगा।
8-	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्ध नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की सम्पत्तियों के अन्तरण विलेख पर प्रमुख/मुख्य मार्गों के दोनों ओर अन्तरित सम्पत्ति के अवस्थिति अनुसार 0-50 व 50 से 200 मीटर दूरी तक प्रमुख/मुख्य मार्गों हेतु निर्धारित प्रभार्य दरें लागू होंगी।
9-	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गों पर पड़ने वाले खसरा नम्बरान की सूची संलग्न है, तथा उक्त में अंकित खसरा नम्बरान की सूची के आधार पर लेखपत्रों के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्तियों का निकटतर चिन्हित प्रमुख/मुख्य मार्ग के दोनों ओर अन्तरित सम्पत्ति के अवस्थिति अनुसार 0-50 व 50 से 200 मीटर दूरी तक प्रमुख/मुख्य मार्गों हेतु निर्धारित प्रभार्य दरों के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा। उक्त से अन्यथा दूरी प्रदर्शित कर मूल्यांकन किये जाने की स्थिति में लेखपत्र भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की सुसंगत प्राविधान के अन्तर्गत कलेक्टर को सन्दर्भित की जायेगी।
10-	लेखपत्रों के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्तियों का अवस्थिति के अनुसार त्रुटिरहित अक्षांश (Latitude) व देशान्तर (Longitude) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
11-	कृषि या अकृषि भूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की 1.10 गुना होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर आंकलित दर से होगा।
12-	किसी भी प्रकार की भूमि/आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर, उक्त भूमि/आवासीय भवन की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

13-	बहुमंजिली आवासीय परिसर में स्थित फ्लैट/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर बहुमंजिली आवासीय परिसर/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन के परिसर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।
14-	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के आवासीय/औद्योगिक/गैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्वीकृत प्राधिकारी/संस्था/विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो उसका विलेख में उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा, एवं ऐसे स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप लाईसेन्स प्राप्त ड्राफ्टमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा एवं जिस भवन का निर्माण बहुत पुराना हो तथा उसका स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध न हो, उस दशा में लाईसेन्स प्राप्त ड्राफ्टमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा तथा निर्माण की श्रेणी के सम्बन्ध में लिन्टरपोश, टीनपोश अथवा फ्लैट्स होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
15-	फ्लैट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ओनरशिप आफ फ्लैट एक्ट 1975 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत परिभाषित निर्मित भवन के भाग से होगा।
16-	भूमि/सम्पत्ति के अन्तरण पर सर्किल दर सूची में उल्लिखित कालोनी की दशा में सम्बन्धित कालोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी/क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख कराना अनिवार्य होगा कि अन्तरित भूमि/सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनियां/मोहल्लों/क्षेत्रों में स्थित नहीं है।
17-	वाणिज्यिक भवनों के मूल्यांकन में कोई हास मूल्य देय नहीं होगा।
18-	भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य हास (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। फ्लैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।
19-	बाउण्ड्री वॉल के स्थित होने पर ₹1,500/- प्रति रनिंग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
20-	भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन ₹25,000/- प्रति की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
21-	टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।
22-	किसी भी औद्योगिक ईकाई में निहित निर्माण का मूल्यांकन, निर्माण की प्रकृति यथा लिन्टरपोश, टीनपोश निर्माण हेतु मूल्यांकन सूची में अंकित दर के अनुसार किया जायेगा।
23-	किसी भी औद्योगिक ईकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त ईकाई में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एप्रूड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।
24-	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्र वार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित है तो विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति की प्रकृति की निर्धारित दरों के अनुसार उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होगी।

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

25-	मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति के समीपस्थ स्थल पर स्थित भूमि/सम्पत्ति क प्रकृति हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
26-	मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से है, जहां से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन)(संशोधन) नियमावली 2015 में यथा परिभाषित है।
27-	किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
28-	मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा:-
	(i)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के मूल्यांकन सूची में वर्णित क्षेत्रों यथा नगरीय/अर्द्धनगरीय/ग्रामीण आदि में स्थित होने के संबंध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(ii)-विलेख में विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवासीय/अनावासीय/व्यवसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
	(iii)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1-दुकान 2-रेस्टोरेन्ट 3-कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(iv)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या/ बन्दोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तरित अकृषि भूमि/सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(v)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित सड़क-सड़को/मार्ग-मार्गों की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
29-	(vi)-पक्षकारों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ विलेख के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा जो कि विलेख का भाग होगा।
	निर्गत की जा रही मूल्यांकन सूची में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो उक्त त्रुटि को शुद्ध करने हेतु तत्संबंधी निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

क्षरण सारणी

1 Yrs	0.990	21	0.809	41	0.662	61	0.541	81	0.443
2	0.980	22	0.801	42	0.655	62	0.536	82	0.438
3	0.970	23	0.793	43	0.649	63	0.530	83	0.434
4	0.960	24	0.785	44	0.642	64	0.525	84	0.429
5	0.950	25	0.777	45	0.636	65	0.518	85	0.425
6	0.941	26	0.770	46	0.629	66	0.515	86	0.421
7	0.932	27	0.762	47	0.623	67	0.509	87	0.417
8	0.927	28	0.754	48	0.617	68	0.504	88	0.412
9	0.913	29	0.747	49	0.611	69	0.499	89	0.408
10	0.904	30	0.739	50	0.605	70	0.494	90	0.404
11	0.890	31	0.731	51	0.598	71	0.489	91	0.400
12	0.880	32	0.724	52	0.592	72	0.484	92	0.396
13	0.870	33	0.717	53	0.587	73	0.480	93	0.392
14	0.868	34	0.710	54	0.581	74	0.475	94	0.388
15	0.860	35	0.703	55	0.575	75	0.470	95	0.384
16	0.851	36	0.696	56	0.569	76	0.465	96	0.381
17	0.842	37	0.689	57	0.563	77	0.461	97	0.377
18	0.834	38	0.682	58	0.558	78	0.456	98	0.373
19	0.826	39	0.675	59	0.552	79	0.452	99	0.369
20	0.817	40	0.668	60	0.547	80	0.447	100	0.366

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।